रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1453] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2018/चैत्र 23, 1940
No. 1453] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2018/CHAITRA 23, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

का.आ.1599(अ).—केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त सहायता न पाने वाली संस्थाओं की फीस का पंजाब विनिमय अधिनियम, 2016 (2016 का पंजाब अधिनियम, संख्यांक 47) का निम्नलिखित उपांतरों के अधीन चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र का विस्तार करती है, अर्थात्:-

उपांतर

1. सर्वत्र अधिनियम में शब्दों "सरकार" या " राज्य सरकार" जहां कहीं भी आते हैं, के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

2. धारा 1 की उपधारा (1) में शब्दों "सहायता न पाने वाली संस्थाओं की फीस का पंजाब विनिमय अधिनियम, 2016" के पश्चात् "चंडीगढ़ संघराज्य क्षेत्र तक विस्तारित" शब्द अंतर्लिखित किए जाएंगे।

3. धारा 2 में,

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतर्लिखित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;";

(ii) खंड (ख) में, शब्दों "पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड" के स्थान पर "केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (I) का लोप किया जाएगा।

4. धारा 3 में, –

(क) उप-धारा (1) में, "पंजाब राज्य में प्रभागीय स्तर पर" के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) विनियामक निकाय निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:--

(क) शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन	अध्यक्ष ;
(ख) निदेशक, विद्यालय शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य-सचिव;
(ग) उप निदेशक, विद्यालय शिक्षा	सदस्य;
(घ) जिला शिक्षा अधिकारी, चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य;
(ङ) दो सदस्य, जिन्हें चंडीगढ़ के विख्यात शिक्षाविदों में से संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	नामनिर्दिष्ट सदस्य;
(च) एक सदस्य, जिसे अध्यक्ष द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग में तैनात उप नियंत्रक (वित्त और लेखा) या सहायक नियंत्रक (वित्त और लेखा)में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।	नामनिर्दिष्ट सदस्य।"।

5. धारा 4 में "संबंधित प्रभाग के मुख्यालय में " शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में" शब्द रखे जाएंगे ।

6. धारा 5 में तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात.:-

"परंतु यह और कि सहायता न पाने वाले शैक्षणिक संस्था –

(क) अपनी वैब् साइट पर आय, व्यय लेखा और तुलन पत्र को अपलोड करेगी;

(ख) माता-पिता से किसी प्रकार की लागत प्रभारित नहीं करेगी ;

(ग) शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में जारी की गई पुस्तिका में प्रवेश प्ररुप के साथ विद्यालय द्वारा संपूर्ण फीस ढांचे का प्रकटन करेगी और उसे अपनी वैब साइट पर भी पोस्ट करेगी;

(घ) शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी समय फीस में वृद्धि नहीं करेगी ।"।

7. धारा 10 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(4) सहायता न पाने वाली शैक्षणिक संस्था की आय के किसी भाग को किसी न्यास या कंपनी या विद्यालय प्रबधन समिति में किसी व्यष्टि या किसी अन्य व्यक्ति को अपवर्तित नहीं करेगा ।

(5) आवर्ती और अनावर्ती व्यय को चुकाने के पश्चात् तथा विकासात्मक मूल्य ह्रास और आकस्मिक निधियों के पश्चात् बचतें, यदि कोई हों, का उपयोग संबंधित सहायता न पाने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के संवर्धन के लिए किया जा सकेगा ।

(6) प्रबंधन द्वारा किसी व्यक्ति या उपक्रम के निधियों को सहायता न पाने वाली शैक्षणिक संस्था को शिक्षा को अग्रसर करने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए संबद्धता को शासित करने वाले नियमों का उल्लंघन समझा जाएगा तथा यथास्थिति चंडीगढ़ प्रशासन या संबद्धता बोर्ड द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी ।"

8. धारा 14 में, --

(क) उपधारा (1) में "तीस हजार रुपये", "पचास हजार रुपये" और "एक लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर क्रमश: "साठ हजार रुपये", "एक लाख रुपये" और "दो लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे;

(ख)उपधारा (2) में "साठ हजार रुपये", "एक लाख रुपये" और "दो लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर क्रमश: "एक लाख बीस हजार रुपये", "दो लाख रुपये" और "चार लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

9. धारा 15 में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "प्रशासक या प्रशासक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

10. धारा 23 की उपधारा (2) में,-

(क) "राज्य विधान मंडल का सदन" शब्दों के स्थान पर "संसद का प्रत्येक सदन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "दस दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

उपाबंध

पंजाब सहायता न पाने वाली संस्थाओं की फीस का विनियमन अधिनियम, 2016

(2016 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 47)

अधिनियम

पंजाब राज्य में सहायता न पाने वाली संस्थाओं की फीस का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए एक तंत्र और उससे उपाबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने की दृष्टि से विनियामक निकाय का गठन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब सहायता न पाने वाली संस्थाओं की फीस का विनियमन अधिनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.— इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) 'शैक्षिक वर्ष' से उस रुप में विहित 12 मास की अवधि अभिप्रेत है और संस्थाओं की विभिन्न कक्षाओं के लिए विभिन्न शैक्षिक वर्ष विहित किए जा सकेंगे ;

(ख) 'संबद्धता' से किसी संस्था के नाम का पंजाब विद्यालय शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य ऐसे बोर्ड या अथोरिटी द्वारा संबद्ध संस्थाओं की अनुमोदित सूची जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त बोर्ड या प्राधिकरण के विशेषाधिकारों में सम्मिलित किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, में नाम का समाविष्ट किया जाना अभिप्रेत है;

(ग) 'समुचित प्राधिकरण' से, --

(i) किसी मान्यताप्राप्त सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता दिए जाने के लिए वह प्राधिकरण; और

(ii) किसी मान्यताप्राप्त सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता दिए जाने के लिए वह प्राधिकरण,

अभिप्रेत है;

(घ) 'विनियामक निकाय' से धारा 3 के अधीन गठित विनियामक निकाय अभिप्रेत है;

(ङ) 'शिकायत'से किसी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था में अध्ययन कर रहे, यथास्थिति, विद्यार्थी या उसके माता-पिता या अभिभावकों द्वारा विनियामक निकाय को लिखित अभिकथन अभिप्रेत है जिसमें सहायता न पाने वाली संस्था द्वारा अत्याधिक फीस प्रभावित करने की शिकायत या वित्तीय फायदा या लाभ उठाने के उद्देश्य से किसी अन्य कार्य को करना या करने के लिए कहने की शिकायत अंतर्विष्ट हैं;

(च) 'वाणिज्यकरण या मुनाफाखोरी या लाभ या वित्तीय अभिलाभ' से किसी सहायता न पाने वाली संस्था द्वारा किसी विद्यार्थी या माता-पिता या अभिभावकों से धारा 5 के अधीन तय की गई, बढ़ाई गई फीस या अत्याधिक फीस प्रभावित करने की गतिविधि अभिप्रेत है;

(छ) 'फीस' से कोई रकम चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे किसी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी विद्यार्थी को अध्ययन के पाठयक्रम के किसी भी स्तर में शिक्षा के लिए विद्यार्थी का दाखिला करने के लिए प्रभारित किया जाता है, अभिप्रेत है;

(ज) 'निधि' से धारा 9 के अधीन सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था विकास निधि अभिप्रेत है;

(झ) 'सरकार'से पंजाब राज्य सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग अभिप्रेत है;

(ञ) 'स्थानीय प्राधिकरण' से कोई नगर निगम या नगर पालिका समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर सुधार न्यास, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उनके कृत्य सौंपे गए हैं ;

IndiaCode

(ट) 'अल्पसंख्यक संस्था' से स्थापित कोई शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है और जिसका प्रशासन चाहे अल्पसंख्यकों द्वारा धर्म या भाषा के आधार पर किया जाता है जिसके लिए ऐसा करने का उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 के अधीन अधिकार है;

(ठ) 'विहित' से सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) 'धारा' से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ढ) 'सहायता न पाने वाली संस्था' से कोई संबद्ध प्राइवेट विद्यालय, जिसके अंतर्गत कोई अल्पसंख्यक संस्था भी है, जिसे सरकार द्वारा कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है, 10+2 स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए, जिसकी स्थापना और प्रशासन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वाराकिया गया है, अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत,–

(i) कोई सहायता प्राप्त विद्यालय ; और

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित विद्यालय,

नहीं है।

3. **विनियामक निकाय का संविधान.**—(1) सहायता न पाने वाली संस्थाओं की फीस का विनियमन करने के लिए विनियामक निकाय नामक एक विनियामक निकाय की पंजाब राज्य में प्रभागीय स्तर पर इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए और उसे समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करने के लिए गठन किया जाएगा।

(2) विनियामक निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,--

(क) संबंधित प्रभाग का प्रभागीय आयुक्त	अध्यक्ष ;
(ख) संबंधित प्रभाग का सर्कल शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव;
(ग) प्रभाग के संबंधित मुख्यालय में तैनात जिला शिक्षा अधिकारी (उच्चतर शिक्षा)	सदस्य;
(घ) प्रभाग के संबंधित मुख्यालय में तैनात जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)	सदस्य;
(ङ) संबंधित प्रभाग के विख्यात शिक्षाविदों में से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य	नामनिर्दिष्ट सदस्य;
(च) एक सदस्य, जिसे प्रभागीय आयुक्त द्वारा संबंधित प्रभाग में तैनात उप नियंत्रक (वित्त और लेखा) या सहायक नियंत्रक (वित्त और लेखा)में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	नामनिर्दिष्ट सदस्य;

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट सदस्यों को विनियामक निकाय की बैठकों में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक और यात्रा भत्ते का संदाय किया जाएगा, जो विनियामक निकाय द्वारा विहित किया जाए।

4. **विनियामक निकाय का मुख्यालय.**—विनियामक निकाय का कार्यालय संबंधित प्रभाग के मुख्यालय में अवस्थित होगा।

5. **फीस नियत करने और बढ़ाने की शक्ति.**—सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था अपनी फीस को नियत करने और संस्था को चलाने के लिए और विद्यार्थियों के फायदे के लिए आवश्यक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए निधियां सृजित करने की आवश्यकता को ध्यान के रखते हुए उसमें बढ़ोतरी करने के लिए भी सक्षम होगी :

परंतु फीस नियत करते समय या उसमें बढ़ोतरी करते हुए धारा 6 की उपधारा (1) में वर्णित कारकों को सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा ध्यान में रखा जाएगा :

परंतु यह और कि फीस में बढ़ोतरी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा पूर्व वर्ष में प्रभारित फीस के आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह भी कि फीस को नियत करते समय या उसमें बढ़ोतरी करते समय सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था मुनाफाखोरी में संलिप्त नहीं होगी और वह प्रतिव्यक्ति फीस प्रभारित नहीं कर सकती है।

6. **फीस नियत करने या फीस में बढ़ोतरी करने के लिए विचारण में लिए जाने वाले कारक.**—(1) किसी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा फीस संरचना नियत करने या उसमें बढ़ोतरी करने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :--

IndiaCode

(क) सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था में उपलब्ध या उपलब्ध की जाने वाली अवसंरचना या सुविधाएं ;

(ख) किया गया विनिधान तथा शिक्षकों और कर्मचारिवृंद को संदत्त वेतन ; और

(ग) संस्थान के विस्तार और बेहतरी के लिए भावी योजनाएं, जोतथापि मुनाफाखोरी पर निर्बंधनों और प्रतिव्यक्ति फीस न प्रभारित करने की शर्त के अधीन होंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियत फीस को सहायता न पाने वाली प्रत्येक शैक्षिक संस्था द्वारा विद्यालय परिसर में एक सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(3) सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि माता-पिता या अभिभावकों से उसके द्वारा प्रभारित फीस या निधियों को ऐसी संस्था से, धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञेय के सिवाय,यथास्थिति, उस सोसाइटी या न्यास को,जो ऐसी संस्था या किसी अन्य संस्था को चलाते हैं,को परिवर्तित न कर दिया जाए।

7. **विनियामक निकाय की शक्तियां और कृत्य.**—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनियामक निकाय नीचे यथावर्णित शक्तियों का उपयोग करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा :--

(क) किसी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा अधिक फीस प्रभारित करने के संबंध में या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में वित्तीय फायदा या लाभ उठाने के मंतव्य के साथ कोई अन्य कार्यकलाप करने के लिए कहने के संबंध में विद्यार्थियों या उनके माता-पिता या अभिभावकों की शिकायतों की सुनवाई ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्थाएं शिक्षा के वाणिज्यकरण में लिप्त नहीं हो रही हैं ;

(ग) इस बात की जांच करना कि फीस संरचना के ढांचे को इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित सीमाओं के भीतर रखा जा रहा है ताकि मुनाफाखोरी से बचा जा सके ;

(घ) किसी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था की स्वायत्ता और शिक्षा के वाणिज्यकरण से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों के बीच संतुलन बनाना ;

(ङ) किसी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से फीस में अत्यधिक वृद्धि की जांच करना ;

(च) यह सुनिश्चित करना कि किसी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा की गई फीस में वृद्धि न्यायोचित है और व्यय में वृद्धि या विकास कार्यकलापों की आवश्यकता जैसी परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गई है और उसका परिणाम मुनाफाखोरी में नहीं होता है ; और

(छ) इस बात की जांच करना कि विद्यार्थियों से प्रभारित निधियों को धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञेय के सिवाय, किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिवर्तित नहीं किया जाता है ।

8. **विनियामक निकाय की अधिकारिता.**—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विनियामक निकाय का सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि किसी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है या किसी उपबंध का उल्लंघन कर रही है तो वह सूचना की सत्यापन के लिए ऐसी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था से सुसंगत अभिलेख की मांग कर सकेगा ।

9. **निधि का गठन.**—(1) प्रत्येक सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था, सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था की विकास निधि नामक एक निधि का गठन करेगी ।

(2) निधि में निम्नलिखित को जमा किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) फीस ;

(ख) प्रभार ;

(ग) निधियां ;

(घ) कोई अन्य प्रभार या राशि, जिसे सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा किसी प्रयोजन के लिए वसूला जाए ; और

(ङ) सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा प्राप्त कोई अभिदाय, पूर्त या उपहार ।

10. **निधि का उपयोजन.**—(1) निधि का उपयोजन, सहायता न पाने वाली संबंधित शैक्षिक संस्था की बेहतरी और विकास के लिए किया जाएगा ।

(2) निधि या उससे उद्भूत किसी लाभ का उपयोग सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा वैयक्तिक लाभ या कारबार या किसी उपक्रम के लिए नहीं किया जाएगा ।

(3) सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा निधि का उपयोग उन कार्यकलापों के लिए किया जा सकता है, जो विद्यार्थियों के लिए फायदाप्रद हैं ।

(4) किसी रकम, चाहे जो भी हो, को सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था द्वारा सिवाय उसी सोसाइटी या न्यास के प्रबंधन के अधीन सोसाइटी या न्यास के किसी अन्य संस्था को नहीं किया जाएगा ।

11. **शिकायत.**—(1) सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था में, यथास्थिति, अध्ययन करने वाला कोई विद्यार्थी या उसके माता-पिता या अभिभावक, उक्त संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली किसी अत्यधिक फीस या प्रभार या वित्तीय फायदा या लाभ अर्जित करने के मंतव्य से किन्हीं अन्य क्रियाकलापों को करने या करने के लिए कहने के संबंध में विनियामक निकाय को शिकायत कर सकेंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शिकायत के साथ,सहायता न पाने वाली संबंधित शैक्षिक संस्था की विशिष्टियों का प्रकटन करते हुए स्वयं द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र के साथ शिकायतकर्ता का नाम और पता संलग्न होगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी शिकायत की विनियामक निकाय द्वारा शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर विहित प्रक्रिया के अनुसार संवीक्षा की जाएगी और उसका अंतिमत: विनिश्चय 60 दिन के भीतर किया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन शिकायत की संवीक्षा के पश्चात् विनियामक निकाय, उसमें कोई सार पाता है तो विनियामक निकाय संबंधित सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था को ऐसी शिकायत पर कोई अंतिम विनिश्चय करने से पूर्व सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

12. **साक्षियों को समन करने और साक्ष्य लेने की शक्ति.**—विनियामक निकाय को इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वादका विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:--

(क) किसी व्यक्ति की हाजिरी बाध्य करना तथा शपथ पर उस की परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटी करण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

13. **विनियामक निकाय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.**— (1) विनियामक निकाय ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(2) विनियामक निकाय कार्य करने के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए ।

(3) विनियामक निकाय के सभी आदेशों और विनिश्चयों को सदस्य-सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

14. **शास्तियां.**—(1) यदि कोई सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो वह जुर्माने से, जो प्रारंभिक स्तर की सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था की दशा में तीस हजार रुपए, माध्यमिक स्तर की सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था की दशा में पचास हजार रुपए तक और उच्चतर तथा वरिष्ठ उच्चतर स्तर की सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था की दशा में प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक लाख रुपए तक हो सकेगा ।

(2) यदि सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों का दूसरी बार उल्लंघन करती है तो वह जुर्माने से, जो प्रारंभिक स्तर की सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था की दशा में साठ हजार रुपए, माध्यमिक स्तर की सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था की दशा में एक लाख रुपए तक और उच्चतर तथा वरिष्ठ उच्चतर स्तर की सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था की दशा में प्रत्येक उल्लंघन के लिए दो लाख रुपए तक हो सकेगा ।

(3) यदि सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों का तीसरी बार उल्लंघन करती है तो विनियामक निकाय उपधारा (2) में यथावर्णित शास्ति अधिरोपित किए जाने के अतिरिक्त संबंधित प्राधिकरण को ऐसी सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था की मान्यता या संबद्धता को वापस लेने का निदेश देगी ।

(4) विनियामक निकाय सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था को ऐसी संस्था द्वारा यथा प्रदर्शित फीस से अधिक फीस का प्रतिदाय करने का निदेश दे सकेगी ।

15. **अपील.**—इस अधिनियम के अधीन किसी निदेश या पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था ऐसा आदेश पारित करने या निदेश देने की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर सरकार को अपील फाइल कर सकेगी ।

16. **सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.**—किसी सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न के निपटान, विनिश्चय करने या उससे व्यौहार करने या किसी मामले का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनियामक निकाय द्वारा निपटान किए जाने, विनिश्चय किए जाने या अवधारित किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

17. **सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.**—विनियामक निकाय के अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या किसी व्यक्ति, जो या तो सरकार या विनियामक निकाय के निदेश के अधीन कार्य कर रहा है, के विरुद्ध किसी बात के लिए, जो सदभावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उनके अधीन किए गए आदेशों के अनुसरण में की गई है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

18. **लेखे और लेखापरीक्षा.**—(1) प्रत्येकसहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था फीस और प्रभारों के उचित लेखे रखेगी तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगी, जो विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रखे गए लेखाओं की अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी ।

19. **वार्षिक रिपोर्ट.**—प्रत्येक सहायता न पाने वाली शैक्षिक संस्था, ऐसे प्ररूप और समय पर प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के लिए पूर्ववर्ती शैक्षिक वर्ष के दौरान प्राप्त फीसों का पूरा लेखा देते हुए अर्हित चार्टर्ड लेखाकार द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी एक प्रति विनियामक निकाय को अग्रेषित करेगी ।

20. **विनियामक निकाय का कर्मचारिवृंद.**—विनियामक निकाय को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जैसा सरकार अध्यक्ष के साथ परामर्श से विनिश्चियत करे ।

21. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.**—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के किसी उपबंध का अनुकूलन या उपांतरण भी है, जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

22. **निदेश जारी करने की शक्ति.**—सरकार समय-समय पर विनियामक निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए उचित समझे और ऐसे निदेशों का अनुपालन करनाविनियामक निकाय का कर्तव्य होगा ।

23. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभावन हीं पड़ेगा।

[फा.सं. यू-11020/3/2017-यूटीएल]

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2018

S.O. 1599(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Punjab Regulation of Fee of Unaided Educational Institution Act, 2016 (Punjab Act No. 47 of 2016), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act, for the words "the Government", or "the State Government" wherever they occur, the words "the Administrator" shall be substituted.

2. In section 1, in sub-section (1), after the words "the Punjab Regulation of Fee of Unaided Educational Institutions Act, 2016", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

3. In section 2,-

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) 'Administrator' means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;";

(ii) in clause (b), for the words "Punjab School Education Board", the words "Central Board of Secondary Education" shall be substituted;

(iii) clause (i) shall be omitted.

4. In section 3,-

(a) in sub-section (1), the words "at Divisional Level in the State of Punjab", the words "in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

(b) for sub–section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) The Regulatory Body shall consist of the following members, namely:-

(a)	Education Secretary, Chandigarh Administration	- Chairperson;
(b)	Director School Education, Chandigarh Administration	- Member Secretary;
(c)	Deputy Director School Education,	- Member;
(d)	District Education Officer, Chandigarh Administration	- Member;
(e)	Two members to be nominated by Administrator of the Union Territory of Chandigarh from amongst the eminent educationist of Chandigarh	- Nominated Member;
(f)	One member to be nominated by the Chairperson from amongst the Deputy Controllers (Finance and Accounts) or Assistant Controllers (Finance and Accounts) posted in the Education Department of Chandigarh Administration.	- Nominated Member.".

5. In section 4, for the words, "at the Headquarter of the concerned Division", the words "in the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

6. In section 5, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that every Unaided Educational Institution shall-

(a) upload income, expenditure account and balance sheet on its website;

(b) not charge any kind of cost from the parents;

(c) disclose complete fee structure at the beginning of the academic year in the Booklet issued, alongwith the admission form, by the schools and also be posted in its website;

(d) not raise the fee any time during the academic session.".

7. In section 10, for sub-section (4), the following sub-sections shall be substituted, namely:-

"(4) No part of income from the Unaided Educational Institution shall be diverted to any individual in the trust or society or company or School Management Committee or any other person.

(5) The savings, if any, after meeting the recurring and non-recurring expenditure and contributions to developmental, depreciation and contingency funds may be utilised for promoting the concerned Unaided Educational Institutions.

IndiaCode

(6) The channeling of funds by the management to any person or enterprise, other than for furthering education in the Unaided Educational Institution shall be deemed to be contravention of the rules governing affiliation and appropriate action shall be taken by the Chandigarh Administration or Affiliating Board, as the case may be."

8. In section 14,-

(a) in sub-section (1) for the words, "thirty thousand rupees", "rupees fifty thousand" and "rupees one lac", the words "sixty thousand rupees", "one lakh rupees" and "two lakh rupees" shall respectively be substituted;

(b) in sub-section (2) for the words, "sixty thousand rupees", "rupees one lac" and "rupees two lac", the words "one lakh twenty thousand rupees", "two lakh rupees" and "four lakh rupees" shall respectively be substituted.

9. In section 15, for the words "the Government" the words "the Administrator or an officer authorised by the Administrator" shall be substituted.

10. In sub-section (2) of section 23,-

(a) for the words "the House of the State Legislature", the words, "each House of Parliament" shall be substituted;

(b) for the words "ten days", the words "thirty days" shall be substituted.

ANNEXURE

THE PUNJAB REGULATION OF FEE OF UNAIDED EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2016

(PUNJAB ACT No. 47 OF 2016)

An

Act

to provide for the constitution of Regulatory Body with a view to provide a mechanism for the purpose of regulating fee of un-aided educational institutions in the State of Punjab and for the matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty- seventh Year of the Republic of India as follows: -

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Punjab Regulation of fee of Un-aided Educational Institutions Act, 2016.

(2) It shall come into force on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) 'academic year' means a period of twelve months prescribed as such, and different academic years may be prescribed for different classes of institutions;

(b) 'affiliation' means inclusion of the name of an institution in the approved list of affiliated institutions with the Punjab School Education Board or any other such board or authority, approved and authorized by the Central Government for admitting it to the privileges of the said board or authority;

(c) 'appropriate authority' means,-

(i) in the case of an unaided educational institution recognized or to be recognized by an authority, authorized by the State Government, that authority; and

(ii) in the case of an unaided educational institution recognized or to be recognized by an authority, authorized by the Central Government, that authority;

(d) 'Regulatory Body' means the Regulatory Body, constituted under section 3;

(e) 'complaint' means an allegation made in writing to the Regulatory Body by a student studying in an Unaided Educational Institution or by his parents or guardians, as the case may be, containing a grievance of charging excessive fee or of doing or asking to do any other activity with a motive to gain financial benefit or profit by the Unaided Educational Institution;

(f) 'commercialization or profiteering or profit or financial gain' means an activity of charging fee by an Un-aided Educational Institution from any student or parents or guardians in excess of the fee, as fixed or increased under section 5;

(g) 'fee' means any amount by whatever name it may be called, which is charged directly or indirectly by an Unaided Educational Institution for admission of a student for education to any standard of course of Study;

(h) 'Fund' means the Unaided Educational Institution Development Fund constituted under section 9;

(i) 'Government' means the Government of the State of Punjab in the Department of School Education;

IndiaCode

(j) 'local authority' means a Municipal Corporation, Municipal Committee, Notified Area Committee. Town Improvement Trust, Panchayat Samiti or Gram Panchayat or any other authority entrusted with their functions under any law for the time being in force;

(k) 'minority institution' means an educational institution established and administered by a minority whether based on religion or language having the right to do so under clause (1) of article 30 of the Constitution of India;

(l) 'prescribed' means prescribed by rules made under this Act by the Government;

(m) 'section' means section of this Act; and

(n) 'Unaided Educational Institution' means an affiliated private school, established and administered by any person or body of persons, imparting education up to 10+2 level including a minority institution which does not receive any aid from the Govemment, but does not include,-

(i) an aided school; and

(ii) a school established and administered or maintained by the Central Government or State Government or any local authority.

3. **Constitution of Regulatory Body.—(1)** There shall be constituted a Regulatory Body to be known as the Regulatory Body for Regulating Fee of Un-aided Educational Institutions at the Divisional level in the State of Punjab to exercise the powers conferred upon and perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Regulatory Body shall consist of the following, namely:-

(a)	Divisional Commissioner of the concerned division;	Chair-person;
(b)	Circle Education Officer of the concerned division;	Member- Secretary;
(c)	District Education Officer (Secondary Education) posted at the concerned Headquarter of the division;	Member;
(d)	District Education Officer (Elementary Education) posted at the concerned Headquarter of the division;	Member;
(e)	Two members to be nominated by the Government from amongst the eminent educationist of the concerned division;	Nominated Member;
(f)	One member to be nominated by the Divisional Commissioner form amongst the Deputy Controllers (Finance and Accounts) or Assistant Controllers (Finance and Accounts) working in the concerned division.	Nominated Members.

(3) The nominated members referred to in sub-section (2), shall be paid such remuneration and travelling allowance for attending the meeting of the Regulatory Body, as may be prescribed.

4. **Headquarter of the Regulatory Body.**—The office of the Regulatory Body shall be located at the Headquarter of the concerned Division.

5. **Power to fix and increase fee.**—An Unaided Educational Institution shall be competent to fix its fee and it may also increase the same after taking into account the need to generate funds to run the institution and to provide facilities necessary for the benefit of the students:

Provided that while fixing or increasing fee, the factors mentioned in sub-section (1) of section 6, shall be kept in view by the Unaided Educational Institution:

Provided further that increase in fee shall not exceed eight per cent of the fee of the previous year, charged by the Unaided Educational Institution.

Provided further that while fixing or increasing fee, an Unaided Educational Institution cannot indulge in profiteering and it cannot charge capitation fee.

6. **Factors to be taken into consideration for fixing or increasing fee.**—(1) For fixing or increasing fee structure by an unaided educational institution, the following factors shall be kept in view, namely:-

(a) the infrastructure and facilities available or to be made available in the Unaided Educational Institution;

(b) the investment made and salaries paid to the teachers and staff; and

(c) future plans for expansion and betterment of institution, subject however, to the restrictions of non-profiteering and non-charging of capitation fee.

(2) The fee fixed under sub-section (1), shall be displayed by every Unaided Educational Institution at the conspicuous place in the School premises.

(3) The Unaided Educational Institution shall also ensure that the fee or funds charged by it from the parents or guardians, are not diverted from such institution to the society or the trust, as the case may be, which runs such institution or to any other institution, except as permissible under sub-section (4) of section 10.

7. **Powers and functions of the Regulatory Body.**—Subject to the provisions of this Act, the Regulatory Body shall exercise the powers and discharge the functions as mentioned below:-

(a) to hear complaints from the students or their parents or guardians with regard to the charging of excessive fee or for doing or asking to do any other activity with a motive to gain financial benefit or profit in contravention of the provisions of this Act by any Unaided Educational Institution;

(b) to ensure that the Unaided Educational Institutions are not indulging in commercialization of education;

(c) to check that the fee structure is being kept within the limits as provided under this Act so as to avoid profiteering;

(d) to strike a balance between autonomy of an Unaided Educational Institution, and measures to be taken in avoiding commercialization of education;

(e) to check excessive hike in fee by an Unaided Educational Institution with the motive to earn profit;

(f) to ensure that increase in the fee undertaken by an Un-aided Educational Institution is justified and necessitated by the circumstances like increase in expenditure or because of needed developmental activities, and does not result into profiteering; and

(g) to check that funds charged from the students are not diverted to any other purpose, except as permissible under sub-section (4) of section 10.

8. **Jurisdiction of the Regulatory Body.**—Notwithstanding anything contained in this Act, the Regulatory Body may, if on information is satisfied that an Un-aided Educational Institution has contravened or is contravening any of the provisions of this Act, it may call for the relevant record of such Unaided Educational Institution in order to verify the information.

9. **Constitution of fund.**—(1) Every Unaided Educational Institution shall constitute a Fund, to be called the Unaided Educational Institution Development Fund.

(2) The following shall be credited to the Fund, namely:-

(a) fee;

(b) charge;

(c) funds;

(d) any other charge or sum, which may be realized by the Unaided Educational Institution for any purpose; and

(e) any contributions, endowments or gifts received by the Un- aided Educational Institution.

10. **Utilization of Fund.**—(1) The Fund shall be utilized for the betterment and development of the concerned Unaided Educational Institution.

(2) The Fund or any profit accrued therefrom shall not be used for any personal gains or business or enterprise by the Un-aided Educational Institution.

(3) The Fund can be used by the Un-aided Educational Institution for the activities, which are beneficial to the students.

(4) No amount whatsoever shall be diverted from the Fund by the Unaided Educational Institution to the Society or the Trust or any other institution, except under the management of the same Society or Trust.

11. **Complaint.**—(1) Any student studying in an Unaided Educational Institution or his parents or guardians, as the case may be, may make complaint to the Regulatory Body with regard to any excessive fee or charge being charged or for doing or asking to do any other activities with a motive to gain financial benefit or profit by the said institution.

(2) The complaint referred to in sub-section (1), shall be accompanied by a self attested affidavit disclosing particulars of the concerned Un-aided Educational Institution alongwith the name and address of the complainant.

(3) Any complaint received under this Act, shall be scrutinized by the Regulatory Body within a period of fifteen days from the date of its receipt in accordance with the prescribed procedure, and it shall be finally decided within sixty days.

(4) If after scrutinizing a complaint under sub-section (3), the Regulatory Body finds any substance in it, the Regulatory Body shall give an opportunity of being heard to the concerned Un-aided Educational Institution before taking any final decision on such complaint.

12. **Power to summon witnesses and take evidence.**—The Regulatory Body shall, for the purpose of any enquiry under this Act, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely;-

(a) enforcing the attendance of any person or examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of documents;
(c) receiving evidence on oath by way of affidavits; and
(d) issuing commission for the examination of witness.

13. **Procedure to be followed by the Regulatory Body.**— (1) The Regulatory Body shall meet at such time and place as the Chairperson may decide.

(2) The Regulatory Body shall follow such procedure of working, as may be prescribed

(3) All orders and decisions of the Regulatory Body shall be authenticated by the Member- Secretary or any other officer, authorized by him.

14. **Penalties.**—(1) If any Un-aided Educational Institution contravenes the provisions of this Act or the rules made thereunder, it shall be punishable with fine, which may extend to thirty thousand rupees in the case of an Un-aided Educational Institution of Primary Level, rupees fifty thousand in the case of an Un-aided Educational Institution of Middle Level, and rupees one lac in the case of an Un-aided Educational Institution of Secondary and Senior Secondary Level for each contravention.

(2) If an Un-aided Educational Institution contravenes the provisions of this Act or the rules made thereunder for the second time, it shall be punishable with fine, which shall be sixty thousand rupees in the case of an Un-aided Educational Institution of Primary Level, rupees one lac in the case of an Un- aided Educational Institution of Middle level, and rupees two lac in the case of an Un-aided Educational Institution of Secondary and Senior Secondary Level for each contravention.

(3) If an Un-aided Educational Institution contravenes the provisions of this Act or the rules made thereunder for the third time, then besides imposing penalty as mentioned in sub-section (2), the Regulatory Body shall direct the concerned authority to withdraw recognition or affiliation of such Un-aided Educational Institution.

(4) The Regulatory Body may direct the Un-Aided Educational Institution to refund the fee in excess of the fee as displayed by such institution.

15. **Appeal.**—Any person or Un-aided Educational Institution aggrieved by any direction or order passed under this Act, may file an appeal to the Government within a period of forty five days from the date of passing of such order or direction.

16. **Bar of Jurisdiction of civil courts.**—No civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter, which is by or under this Act is required to be settled, decided or determined by the Regulatory Body.

17. **Protection of actions taken in good faith.**—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Chairperson or any member of the Regulatory Body or any officer or other employee or any person acting under the direction either of the Government or of the Regulatory Body, in respect of anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules or orders made thereunder.

18. **Accounts and audit**.—(1) Every Unaided Educational Institution shall maintain proper accounts of fee and charges, and also maintain other relevant record and prepare annual statement of accounts in such form, as may be prescribed.

(2) The accounts maintained under sub-section (1), shall be audited by a qualified Charted Accountant.

19. **Annual report.**—Every Un-aided Educational Institution shall prepare, in such form and at such time for each academic year, as may be prescribed, its annual report by a qualified Charted Accountant giving full account of its fees, received during the previous academic year, and forward a copy thereof to the Regulatory Body.

20. **Staff of the Regulatory Body.**—The Government in consultation with the Chairperson shall provide such officers and employees, as may be decided by it to discharge the functions of the Regulatory Body under this Act.

21. **Power to remove difficulties.**—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order in writing, make such provision including any adaptation or modification of any provision of this Act, as appears to it, to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

22. **Power to issue directions.**—The Government may, from time to time, issue such directions to the Regulatory Body, as it may deem fit, for giving effect to the provisions of this Act and it shall be the duty of the Regulatory Body to comply with such directions.

23. **Power to make rule.**—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of ten days,, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter, have effect only in such modified from or be of no effect, as the case may be; so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

[F.No. U-11020/3/2017-UTL]

PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA, Additional Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.04.20 15:41:43 +05'30'